

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा का निधन राजकीय सेवा में रहते हुए उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर इनकी सेवाएं उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है।-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	निधन दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
01.	SANDEEP KUMAR SAINI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TONK CHHILARI (216084) JHUNJHUNU	BIOLOGY	01-08-1989	17-05-2021	17-05-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।




(सौरभ स्वामी)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/सेवा-समाप्ति/2019-20
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक:- 07/07/21

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग.....।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मा. शिक्षा.....।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा.....।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि/राबाउमावि.....।
7. संबंधित आश्रित, द्वारा संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग/संस्थापन सी-2 (प्रभाग ओएसी)।
9. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-राजनीति विज्ञान जो कि उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था/कार्यालय में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक एवं समकक्ष	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	मूलचन्द रेगर	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, हुरड़ा, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	10.10.1961	31.10.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरुद्ध आदेश जारी होने की दिनांक तक-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2021-22/50

दिनांक-07/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर